सीद दस्तावे वगैरह 44

दस्तावेज की तफसीलवारी व बमत या दस्तखत की तारीख या किस जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया। जिसके बावत फीस दाखिल हुई। उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2	3	4
55000	6324	

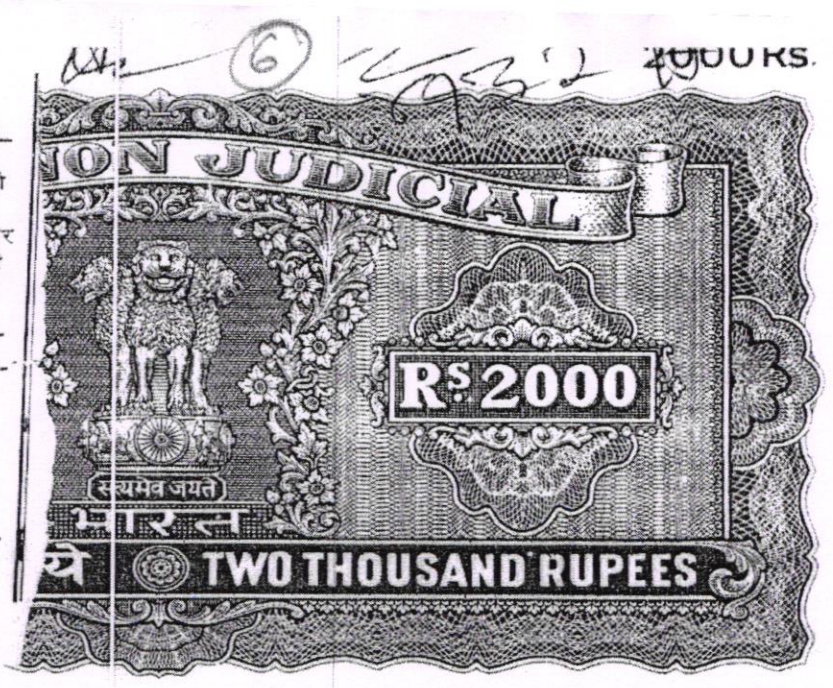

उप-पंजीयक

2000 RS.

स्टाम्प ड्युटी रूपये	४१२५-००
पंचायत ड्युटी रूपये	५५०-००
उपकर ड्युटी रूपये	२०७-००
अधिक स्टाम्प रूपये	२-००
रूपये	४८८५-००

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सिमरोल - तहसील महू जिला इन्दौर की भुमि, पटवारी - हल्का नंम्बर २६ राजस्व निरिक्षक मण्डल ... एक फसली असिंचित भुमि, बाजार मुल्य रूपये - ५५,०००) ऋण पुस्तीका क्रमांक 6709

श्री

कृषिभुमि का विक्रय पत्र किमंत रूपये ५५,०००)

५५,०००) रूपये पचपन हजार विक्रेता पक्ष ने आप क्रेता पक्ष की तरफ से प्राप्त कर लिये हैं। [illegible]

५५,०००) [illegible]

श्रीमति कविता पति श्री मोहन चंदानी निवासी मकान नंम्बर ३२५ साकेत नगर कालोनी इन्दौर म०प्र० ---- विक्रेता

श्रीमति गर्टरूड पिता डाक्टर सेम्युल रोनाल्ड निवासी मकान नंम्बर २१४ कटकट पुरा इन्दौर म०प्र० ----- क्रेता पक्ष

कृषिभुमि का विक्रय पत्र रूपये देकर लिखवालेने वाले श्रीमति गर्टरूड पिता श्री डाक्टर सेम्युल रोनाल्ड निवासी मकान नंम्बर २१४ कटकट पुरा इन्दौर म०प्र० (जिन्होको इस लेख मे आगे क्रेता पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया हैं) इन्हो रूपये लेकर यह कृषिभुमि का विक्रय पत्र लिख देने वाली श्रीमति कविता पति मोहन चंदानी निवासी मकान नंम्बर ३२५ साकेत नगर कालोनी इन्दौर म०प्र० - (जिन्होको इस लेख मे आगे विक्रेती पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया हैं) विक्रेती पक्ष आप क्रेती पक्ष के हित मे यह कृषिभुमि का विक्रय पत्र लिख देती हूं कि -:

2000Rs.

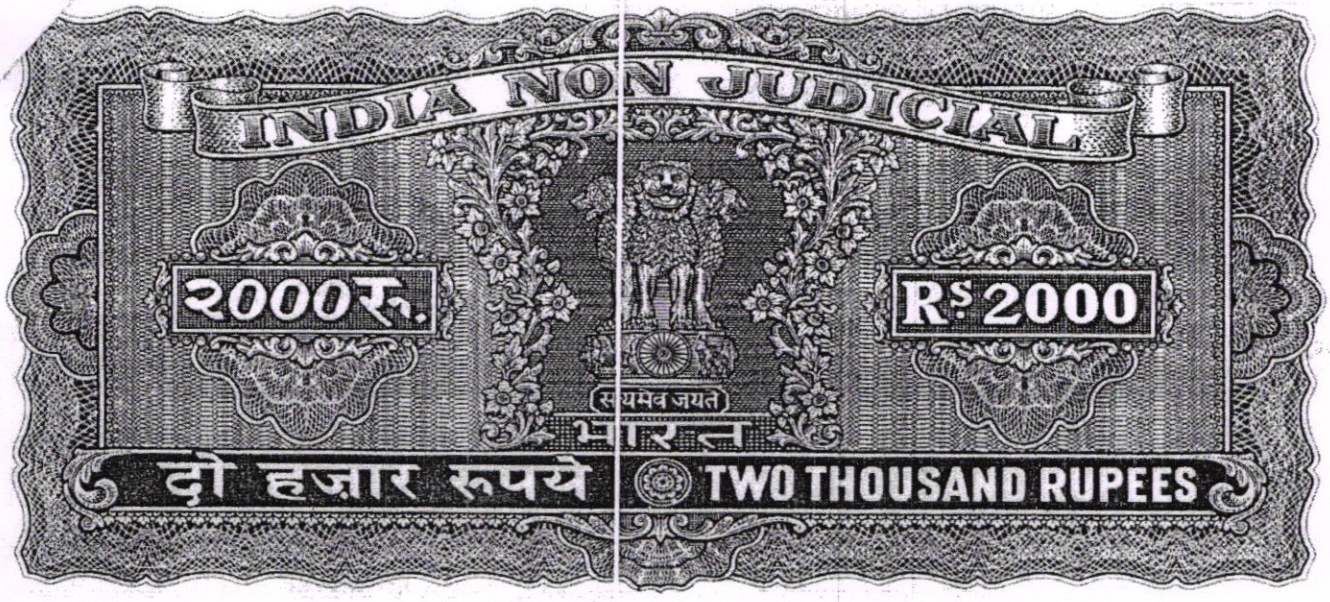

INDIA NON JUDICIAL

२०००रु. Rs 2000

सत्यमेव जयते

भारत

दो हज़ार रूपये TWO THOUSAND RUPEES

१- यह कि मुफ विक्रेती के स्वामित्व एंवम आधिपत्य की कृषिभुमि ग्राम सिमरोल तहसील महू जिला इन्दौर यहां पर पटवारी हल्का नंम्बर २६ मे खसरा नंम्बर नग २ दो कुल रकबा हेक्टर मे १-०६५ (एक हेक्टर पैसठ आर. ए.) लगान रूपये ६-०२ पैसे (छै रूपये दो पैसे) की कृषिभुमि हैं । यह भुमि मैने दस्तावे रजिस्ट्रर नोंद नंम्बर १अ।११०१।१६८८। दिनांक ११ फरवरी सन १६८८ को क्रय कि होकर इस भुमि पर मैने तहसील कार्यालय मे व पटवारी कागजात मे नामांतरण भी करवाया हैं । व इस वक्त यह भुमि मेरे ही कब्जे मे होकर उसकी मैं मालिक नाते से उपभोग ले रही हूं । यह मुफ विक्रेती के एकमात्र स्वामित्व एंवम आधिपत की भुमि निचे लिखे वर्णन की विक्रेती ने आप क्रेती को किमंत रूपये ५५,०००) पचपन हजार रूपये मे विक्रय कि हैं । व उस विक्रय किये हुवे कृषिभुमि का खुलासा निचे लिखे मुताबिक हैं ।

२- ग्राम सिमरोल तहसील महू जिला इन्दौर की भुमि -:

एक फसली असिंचीत भुमि -:

खसरा नंम्बर	रकबा हेक्टर	लगान रूपये
३७५	००-५१०	३-७७
३७६	००-५५५	२-२५
२	०१-०६५	६-०२

३- इस कृषिभुमि की चतु:सीमा -:

पुर्व को -: मोहन की भुमि ।

पश्चिम को -: अन्य भुमि ।

दक्षिण को -: [illegible] ।

उत्तर को -: [illegible] की भुमि ।

750Rs.

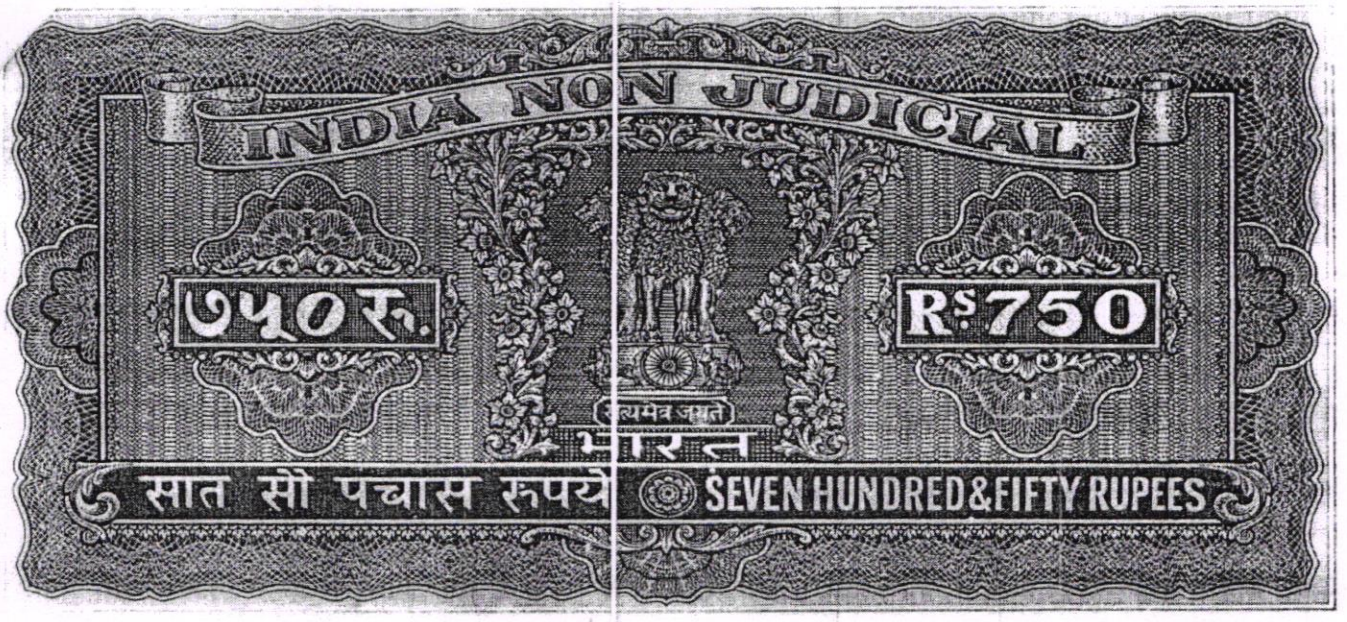

४- यह कि उपर लिखे अनुसार खसरा नंम्बर नग २ दो कुल रक्बा हैक्टर मे १-०६५ (एक हैक्टर पैसठ आर.ए.) लगान रूपये ६-०२ (छे रूपये दो पैसे की कृषिभुमि व मैने मेरे मुस्वामी के हक्क सहित विक्रेती ने आप क्रेता को किमंत रूपये ५५,०००) पचपन हजार रूपये मे विक्रय कि हैं। व उस विक्रय किये हुवे कृषि भुमि के किमंत के चुक्ते रूपये ५५,०००) पचपन हजार रूपये हम आपकी तरफ से उपर लिखे मुताबिक लेकर भरपाई हूं। व अब बाकी लेना कुछ भी आपकी तरफ इस विक्रय प्रतिफल के बाबद रहा नही हैं।

५- यह कि उपर लिखी हुई कुल कृषिभुमि मैने आपके कब्जे मे दे दि हैं।

६- यह कि सदर कृषिभुमि मैने आपको विक्रय कि हुई होने से इसके मालकी के जो जो हक्क मुझ विक्रेती को थे, वह सब हक्क रद होकर आपको इस विक्रय पत्र के जर्ये कृषिभुमि के मालकी के पूर्ण हक्क प्राप्त हो गये हैं। व अब आपने सदर कृषिभुमि पर मालकी करके सदर कृषिभुमि का उपभोग आपने आपके ईच्छानुसार हमेशा लेते जाना। व इसमे मेरी या मेरे वारसान की किसी भी तरह की हरकत होगी नही।

७- यह कि सदर कृषिभुमि के मालकी के बाबद कोई भी वारिस या हक्कदार खडा होकर आपसे किसी भी तरह का दावा झगडा करेगा या आपके कब्जे मे किसी भी तरह की हरकत लावेगा तो उसका मन मैं मेरे घर घराऊ खर्चे से मनाउंगी। व आपको किसी भी प्रकार से नुकसानी या खर्चा लगने देउंगी नही।

--४

75 Rs.

८- यह कि सदर कृषिभुमि मैने आपके शिवाय दिगर जगह गिरवी या विक्री कि हुई नही हैं । और ना कोई को दान या बक्सिस मे दि हैं । व सदर कृषिभुमि पर किसी का डिक्री, चार्ज, मेन्टेनन्स, कर्जे, का या जमानत का या भुमि विकास बैंक या को-आपरेटिव्ह बैंक आदि का किसी भी तरह का हक्क सम्बन्ध बोझा नही हैं । सदर कृषिभुमि हर प्रकार के भार व बोझ से मुक्त होकर सदर कृषिभुमि को विक्रय करने का मुझे पूर्ण अधिकार हैं ।

९- यह कि सदर कृषिभुमि की सरकारी तोजी वगैरा आज तक की मैं देउंगा । व आगे के लिये आपने देते जाना । और आपने आपका नाम तहसील कार्यालय मे व पटवारी कागजात मे या अन्य शासकीय या अशासकीय कार्यालयों मे दाखल करवा लेना । व आपका नामांतरण होने मे मेरे सही की या बयान की जो भी मदद लगेगी वह मैं आपको अवश्य देउंगी । व आपका नामांतरण आप क्रेती के खर्चे से करवा देउंगी ।

१०- यह कि विक्रेता पक्ष व क्रेता पक्ष ने मध्य प्रदेश कृषिक जोत संशोधन अधिकतम सीमा अधिनियम सन १९७२ के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया नही हैं । इसमे सन १९५९ की धारा १६५ के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता नही हैं । सदर भुमि कोई भी स्कीम आदि मे नही आती हैं ।

११- यह कि विक्रय किये हुवे भुमि के मालकी के बाबद मेरे नाम का विक्रय पत्र मैने आपको दिया हैं ।

60 Rs.

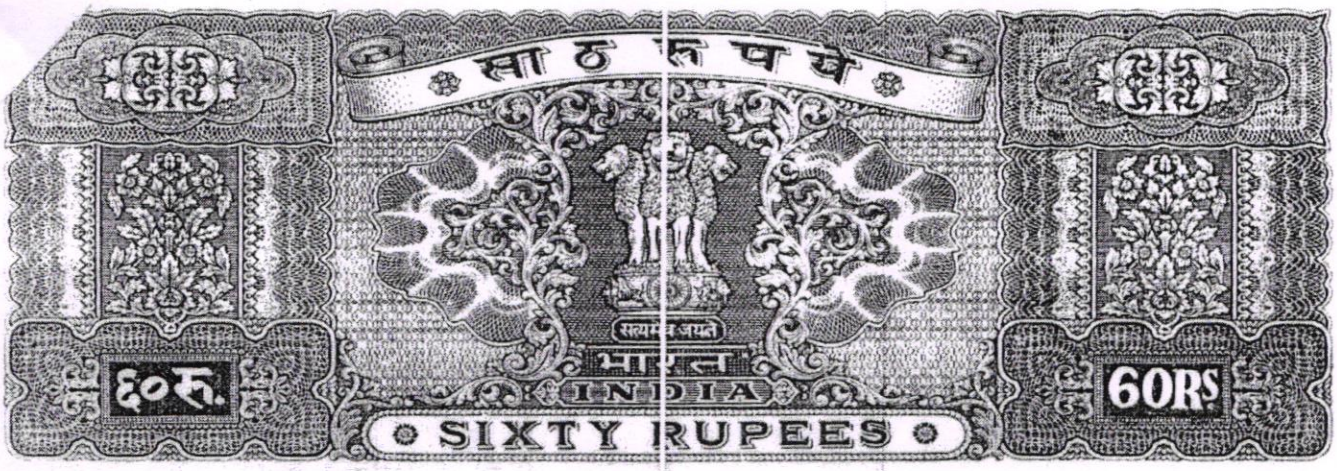

साठ रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

६० रु. 60RS

SIXTY RUPEES

यह कृषिभुमि का विक्रय पत्र विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से होश हवास मे नशा पानीन करते लिख दिया सो सनद रहे । और आवश्यकता पडने पर काम मे आवे । इति दिनांक -: १७।११।१९८९।

साक्षी सही निष्पादक

१. राजेन्द्र कुमार ---------

२. ---------

८६१ २०-११-८९

5 R$

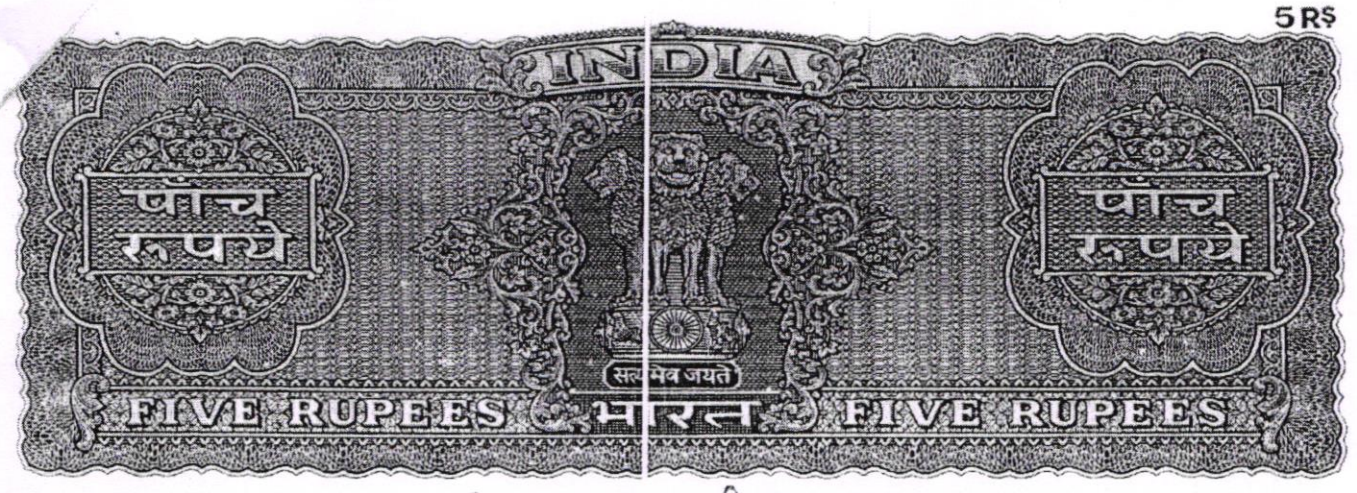

जमीन की सौदा चिट्ठी

कृषि भूमि का इकरार नामा लिख देने वाला मै नरेन्द्र कुमार S/o श्रीकृष्णार्य जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गिगरोल्ड ते॰ महू जि॰ इन्दौर का होकर लिख देता हूँ कि मेरी कृषि भूमि पटवारी हल्का नं. २६ में ०.९३० हेक्टर तथा मेरी पत्नी की कृषि भूमि भी इसी भूमि से लगी प॰ह॰नं॰ २६ में १.०६५ हेक्टर कृषि भूमि जो हमारे मालकी के हक की है, इसका मेरे द्वारा आपको श्री मोहन S/o श्री ठाकुरदास चंदानी निवासी ३२५ साकेत नगर इन्दौर तथा श्रीमती कविताजी w/o श्रीमोहन चंदानी ३२५ साकेत नगर इन्दौर को कीमत रुपये १३२०००/ में विक्रय की गई है। इसकी चतुर्सीमा जमीन के रेवेन्यू रेकार्ड मे अंकितानुसार है। यह मेरे द्वारा आज दिनांक १७।१०।०८ को बिना नशा पानी किये, होश हवाश में लिख गया है। इस जमीन की रजिस्ट्री माह (अप्रैल) १०.०८ में की जावेगी। इस सौदे में हम दोनो, विक्रयदार तथा खरीददार अपने २ वायदे में सहमत है इस जमीन में विद्युत कनेक्शन ३ H.P. का है। फिलहाल में ज्वार, सोया बीन तथा मिर्ची की फसल है। जिस दिन आप रजिस्ट्री करवायेगे उसी दिन आपको कब्जा दे दिया जावेगा। इस सौदे में आज दिनांक १७।१०।०८ को जमीन की बिक्री पेटे बयाने मे मुझे २५000=00 रुपये का नगदी भुगतान प्राप्त हुआ। इसमें १५000=00 नगदी तथा १0000=00 का सिंडीकेट बैंक के एकाउंट से चेक द्वारा प्राप्त हुआ। No 720341 इस सौदे में जो भी पार्टी अपने वायदे से मुकरेगी उसको, विक्रयदार यदि वायदे से मुकरे तो उसे उसको दिये गये बयाने की रकम का दुगुना भुगतान करना होगा यदि खरीददार अपने वायदे से मुकरे तो, उनके द्वारा दिया गया बयाना अपने आप समाप्त माना जावेगा।

गवाह —

(1) दौलत

शा॰ना॰ ख॰ र॰ नरेन्द्र तिवारी
१७।१०।०८
शनिवार